उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

मध्यस्थता याचिका सं। 2008 का 17

पूर्णानंद व्यास .... याचिकाकर्ता

बनाम

टिहरी जल विकास निगम लिमिटेड..... प्रतिवादी

श्री अनुराग बिसारिया, याचिकाकर्ता के वकील। श्री शोभित सहारिया, प्रतिवादी के वकील।

माननीय V.K। गुप्ता, सी. जे.

प्रतिवादी द्वारा आज अदालत में जवाब दाखिल किया गया है जिसे

अभिलेख में लिया गया है।

04.08.2007 को पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुए विवादों के कारण,

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को कुछ दावे करते हुए एक संचार भेजा और प्रतिवादी

से एक महीने के भीतर उक्त सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करने या

वैकल्पिक रूप से विवादों को निर्णय के लिए प्रतिवादी द्वारा नियुक्त

मध्यस्थ को भेजने का अनुरोध किया। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिवादी

को एक कानूनी नोटिस भेजा गया, जिसमें फिर से उपरोक्त दावों को दोहराया

गया और फिर से अनुरोध किया गया कि विचाराधीन राशि का भुगतान किया जाए या

नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीस दिन के भीतर एक मध्यस्थ को नियुक्त

करके विवादों को संदर्भित किया जाए।

27.11.2007 दिनांकित संचार के माध्यम से, प्रतिवादी ने उपरोक्त

संचार दिनांक 04.08.2007 और उपरोक्त कानूनी नोटिस दिनांक 21.08.2007 को

स्वीकार किया और जहां तक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के

अनुरोध का संबंध है, उसने निम्नानुसार जवाब दियाः

"उक्त दिनांकित 21.08.07 पत्र के अनुसार, आपके कानूनी वकील ने अनुरोध किया है कि दिनांकित 21.08.07 पत्र में उल्लिखित दावों को मध्यस्थ को उसके नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर भेजा जा सकता है। तदनुसार मध्यस्थ का नाम जल्द ही आपको सूचित किया जाएगा। "

-

यह 22.02.2008 पर था कि प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को श्री S.C शर्मा, प्रतिवादी निगम के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक, पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में की गई नियुक्ति के बारे में सूचित किया। ।

यह याचिका 03.07.2008 i.e पर दायर की गई थी। श्री एस. सी. शर्मा की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति के लगभग साढ़े चार महीने पश्चात। 07.07.2008 पर, प्रतिवादी अपने वकील श्री शोभित सहरिया के माध्यम द्वारा अदालत में पेश हुआ। क्योंकि इस न्यायालय ने साढ़े चार महीने तक मध्यस्थता की कार्यवाही में किसी भी तरह से कार्य नहीं करने में नियुक्त मध्यस्थ के आचरण को पीड़ा और निराशा के साथ देखा, इसलिए मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता की तिथि को 16.07.2008 के रूप में निर्धारित करने के लिए पहला संचार भेजा गया था। इस संचार की एक प्रति इस याचिका में प्रतिवादी द्वारा दायर जवाब के लिए 'अनुलग्नक-1' के रूप में दायर की गई है।

जवाब में, प्रतिवादी ने कोई स्पष्टीकरण देना बहुत स्पष्ट रूप

से छोड़ दिया है कि श्री S.C.Sharma ने पिछले साढ़े चार महीनों से मध्यस्थता कार्यवाही में किसी भी तरह से कार्य क्यों नहीं किया। जाहिरा तौर पर, 08.07.2008 दिनांकित संचार श्री S.C.Sharma से मात्र इस अदालत के हस्तक्षेप के कारण निकला।

उपरोक्त के आधार पर, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और श्री S.C.Sharma को पिछले साढ़े चार महीनों से कार्य करने में विफलता के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में हटाते हुए, श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) को नियुक्त करता हूं। राजेश टंडन, इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले एकमात्र मध्यस्थ के रूप में।

(वी. के. गुप्ता सी. जे.)

11.07.2008

ए.